

न्यायालय समाहर्ता, पूर्णिया

आदेश की सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी और तारीख
21.01.2020	<p><u>उत्पाद वाद संख्या-08/2020</u></p> <p>राज्य</p> <p>बनाम</p> <p>1. अज्ञात ट्रक (DLM)।</p> <p style="text-align: center;"><u>आदेश</u></p> <p>अभिलेख उपस्थापित। यह वाद बायसी थाना कांड सं०-38/2019 दिनांक 14.02.2019 के आलोक में प्रारम्भ की गई है। पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया के पत्रांक 9717/सी०आर० दिनांक-09.12.2019 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव एवं संलग्न कागजातों में वर्णित है कि उक्त वाहन की जांच दिनांक 14.02.2019 को बायसी पूरब चौक सिनेमा हॉल के पास की गई। जप्त वाहन से ROYAL STAG WHISKY का 4440 बोतल (प्रति बोतल 750 मि०ली०), ROYAL STAG WHISKY का 2400 बोतल (प्रति बोतल 180 मि०ली०), BLENDERS PRIDE WHISKY का 180 बोतल (प्रति बोतल 750 मि०ली०) एवं BLENDERS PRIDE WHISKY का 45 बोतल (प्रति बोतल 180 मि०ली०) विदेशी शराब पाया गया। तत्पश्चात् जप्ती सूची तैयार कर प्राथमिकी दर्ज कराई गई। पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया द्वारा बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 के तहत जप्त वाहन को राजसात करने की अनुशंसा की गई है।</p> <p>जांच के क्रम में पाया गया कि उक्त ट्रक पर निबंधन सं०-UP65R-9126 अंकित है। इस निबंधन सं० से संबंधित वाहन मालिक का नाम / पता जिला परिवहन पदाधिकारी, पूर्णिया से प्राप्त किया गया। जिसमें पाया गया कि उक्त जप्त ट्रक जिसपर निबंधन सं०-UP65R-9126 अंकित है, वह THREE WHEELER PASSANGER का निबंधन सं० है। इस प्रकार स्पष्ट हुआ कि जप्त ट्रक पर फर्जी निबंधन सं० अंकित कर शराब का परिवहन किया जा रहा था। इसके बावजूद जप्त वाहन के मालिक को न्यायालय में उपस्थित होने की सूचना दिनांक 18.01.2020 को दैनिक</p>	

भाष्कर समाचार पत्र में प्रकाशित कराई गई, परन्तु जप्त वाहन के मालिक उपस्थित नहीं हुए।

उत्पाद विभाग की ओर से प्राधिकृत विद्वान अधिवक्ता को सुना। उनके द्वारा बताया गया कि जाँच के क्रम में उक्त वाहन की जांच दिनांक 14.02.2019 को बायसी पूरब चौक सिनेमा हॉल के पास की गई। जप्त वाहन से ROYAL STAG WHISKY का 4440 बोतल (प्रति बोतल 750 मि०ली०), ROYAL STAG WHISKY का 2400 बोतल (प्रति बोतल 180 मि०ली०), BLENDERS PRIDE WHISKY का 180 बोतल (प्रति बोतल 750 मि०ली०) एवं BLENDERS PRIDE WHISKY का 45 बोतल (प्रति बोतल 180 मि०ली०) विदेशी शराब बरामद हुआ है। इस प्रकार जप्त वाहन का उपयोग शराब के परिवहन में किया गया है। विपक्षी द्वारा जप्त ट्रक पर अन्य वाहन का निबंधन सं० अंकित कर शराब का परिवहन किया जा रहा था। बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 56 में अधिहरण की जा सकने वाली चीजों का वर्णन है, जिसकी उपधारा 'घ' में वर्णित है कि "उसे ढोने के काम में लाये जाने वाले पशु, वाहन, जलयान या परिवहन के अन्य साधन।" स्पष्ट है कि जप्त वाहन के द्वारा शराब का परिवहन किया गया है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा-99 "विधिमान्यकरण के अनुरूप बिहार उत्पाद अधिनियम से संबंधित पूर्व में किये गये सभी तरह के अपराध और उसके अनुसंधान से संबंधित सारे प्रावधानों पर वर्तमान बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 के प्रावधान ही लागू होंगे और इसी अनुरूप अपराध और अनुसंधान के कार्य निष्पादित किये जायेंगे।" ऐसी स्थिति में उक्त अधिनियम के तहत प्राप्त शक्ति के आलोक में जप्त वाहन को राजसात किया जाना आवश्यक है।


पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया से प्राप्त प्रस्ताव, उत्पाद विभाग की ओर से प्राधिकृत विद्वान अधिवक्ता का अभिकथन तथा अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त वाहन से भारी मात्रा में अवैध शराब जप्त हुआ है। स्पष्ट है कि जप्त वाहन के द्वारा शराब का परिवहन किया गया है। साथ ही विपक्षी द्वारा अपने वाहन में फर्जी निबंधन सं० अंकित कर शराब का परिवहन किया जा रहा था। संपूर्ण बिहार राज्य में पूर्ण


शराबबंदी लागू होने के बावजूद जप्त वाहन से शराब पाया जाना दण्डनीय अपराध है। ऐसी स्थिति में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 के तहत उक्त वाहन को राजसात किया जाना विधिसम्मत प्रतीत होता है।

अतः मैं राहुल कुमार, भा0प्र0से0, जिला दण्डाधिकारी -सह-समाहर्ता, पूर्णिया इस वाद अंतर्गत जप्त अज्ञात ट्रक (DLM) को बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की कंडिका 58(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजसात का आदेश देता हूँ। अधीक्षक उत्पाद, पूर्णिया को निदेश दिया जाता है कि उत्पाद अधिनियम एवं तत्संबंधी संगत प्रावधानों के अनुरूप अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित करें। आदेश की प्रति अनुपालन हेतु उत्पाद अधीक्षक, पूर्णिया को भेजें तथा पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया को भी प्रेषित करें।

इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित


समाहर्ता,
पूर्णिया।


21/01/2020
समाहर्ता,
पूर्णिया।

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is arranged in several paragraphs and appears to be a formal document or report.